7/12/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी
निर्वाचन कार्य।
में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना
में दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।

24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष उप. है पत्रावली दिनांक 11.2.2021 को पेश हो।

11/2/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष उप. है पत्रावली दिनांक 24/2/2021 को पेश हो। जवाब पेश किया जिसकी प्रति दिलवाई गई एवं शामिल मिसल हो।

24/2/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/2/2021 को पेश हो।

26/02/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमिया "चारभुजा जी स्थान" की भूमिया है व माफी पूजनार्थ में प्रार्थीगण के पूर्वजों को चारभुजाजी की सेवा पेटे खाने कमाने के लिए दी गई। उक्त भूमियों का मालिकाना हक चारभुजा जी में निहित है। चारभुजाजी कानूनी अधिकार में नाबालिग है जिनकी ओर से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादग्रस्त भूमिया विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हो जाने से विपक्षीगण विक्रय हस्तान्तरण करने हेतु आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

संख्या ५१ सन् 2018 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

रतनसिंह वगैरह बनाम उदयराम वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
जिनको मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 18.06.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कुम्फर्म की जावे। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण वर्तमान में खातेदार कृषक है। विपक्षीगण सेटलमेंट से पूर्व से ही उनके पूर्वजों के समय से विरासत में प्राप्त वादग्रस्त भूमियों पर काबिज होकर खातेदार है। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन: पारित नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण नोपजेशन नोप्रजेशन के सिद्धान्त से प्रतिबंधित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे एवं साथ ही न्यायिक दृष्टांत 2018 RBJ पेश ५९९, RLW 2013 (1) RJ, RRD-14.05.2017 पेश किये। बहस पर मनन किया एवं न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन किया गया। वर्तमान में विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है व मौके पर काबिज है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति भी विपक्षीगण को होगी। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द	